

बिहार सरकार
गृह विभाग
सैनिक कल्याण निदेशालय

का0आ10/सैनिका0नि0/11/03/2014/437/पटना-23, दिनांक 7 अप्रैल 2017

कार्यालय आदेश संख्या/ 8 /2017

दिनांक 17.01.2017 को हुई राजकीय प्रबंध समिति की 20वीं बैठक की कार्यवाही की मद संख्या 24 में निहित निर्णय के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों एवं मृत सैनिक के पत्नी के बच्चों को शिक्षा अनुदान की दर में बढ़ोतरी की गई है जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं मृत सैनिक के पत्नी के बच्चों को शिक्षा अनुदान/बुक ग्रान्ट एवं होस्टल अनुदान की दर में निम्न प्रकार से बढ़ोतरी की गई है :-

(i)	(क)	स्कूल क्लास 6वीं से 10वीं तक	1200/-रु. से बढ़ाकर 1500/-रु. वार्षिक
	(ख)	कॉलेज/संस्थान/स्नातक/स्नातकोत्तर	1800/-रु. से बढ़ाकर 3500/-रु. वार्षिक
	(ग)	आई.टी.आई. (+2 स्तर तक)	2000/-रु. से बढ़ाकर 5000/-रु. वार्षिक
	(घ)	व्यवसायिक	1200/-रु. से बढ़ाकर 1500/-रु. वार्षिक

(ii) छात्रावास अनुदान : विद्यालय/महाविद्यालय (6वीं से स्नातकोत्तर तक) के छात्रावास में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 1,500/-रुपये (वार्षिक) से बढ़ाकर 2,000/-रुपये (वार्षिक)।

(iii) बी0 एड0, एम0 एड0 एवं विधि कोर्स को शिक्षा अनुदान मद से हटाया दिया गया है।

(iv) आय सीमा को समाप्त किया जाता है।

(v) बुक ग्रान्ट

(क)	कॉलेज (प्रथम एवं तृतीय वर्ष)	1000/-रु. वार्षिक
(ख)	मास्टर डिग्री/विधि (प्रथम वर्ष)	2000/-रु. वार्षिक
(ग)	डिप्लोमा (अभियंत्रण)	2000/-रु. वार्षिक
(घ)	बी. एड.	1500/-रु. वार्षिक

2. यह आदेश राजकीय प्रबंध समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की तिथि यथा 17.01.2017 से प्रभावी होगा तथा यह व्यय विशेष कोष (सैनिक कल्याण फंड) से किया जायेगा। स्वीकृति हेतु निदेशालय के पत्रांक 263 दिनांक 15.3.2013 में निहित शेष शर्तें यथावत रहेंगे।

3-1-

(देव नारायण मंडल)
निदेशक

ज्ञापांक : सैनिका0नि0/11/03/2014/...../पटना-23, दिनांक 7 अप्रैल 2017

प्रतिलिपि, महामहिम के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

3-1-

निदेशक

ज्ञापांक : सैनिका0नि0/11/03/2014/437/पटना-23, दिनांक 7 अप्रैल 2017

प्रतिलिपि, सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/लेखापाल/प्रभारी सहायक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

शिक्षा अनुदान के लिए आवेदन पत्र वर्ष..... (शिक्षा सत्र.....).

(सिर्फ प्रवेशिका स्तर तक)

खण्ड- 'क'

1. नम्बर..... रैंक..... नाम.....
2. रेजिमेन्ट / कोर :.....
3. सेना में भर्ती की तिथि :.....
4. सेना से निवृत्ति की तिथि :.....
5. सेना छोड़ने का कारण :.....
6. सेवा निवृत्ति के समय आचरण :.....
7. (क) पत्राचार का पता : ग्राम..... पोस्ट.....
जिला.....
- (ख) स्थायी पता : ग्राम..... पोस्ट.....
जिला.....
8. जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र क्रमांक.....
9. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं किसी भी सरकारी / निजी प्रतिष्ठान या निकाय में नौकरी नहीं करता हूँ।
10. मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है।
11. बैंक खाता संख्या एवं बैंक का नाम :.....

भूतपूर्व सैनिक / विधवा का हस्ताक्षर एवं तिथि

खण्ड- 'ख'

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. पिता के पुत्र / पुत्री हैं।
2. इनका नामांकन तिथि..... है।
3. इनका जन्म तिथि..... है।
4. वर्ष..... में वर्ग के छात्र / छात्रा थे तथा वार्षिक परीक्षा..... में उत्तीर्ण हुए थे।

5. यह विद्यालय/केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इनको गत वर्ष अन्य किसी श्रोतों से शिक्षा अनुदान नहीं मिला है।

विद्यालय के प्रधान के हस्ताक्षर तिथि एवं मुहर

आवेदन पत्र की जाँच कर ली गई है।
सत्यापित एवं अनुशंसित।

कल्याण व्यवस्थापक

अनुशंसित

जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी

आवश्यक सूचना :-

- (क) भूतपूर्व सैनिकों को बिहार का निवासी होना अनिवार्य है।
- (ख) त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वतः रद्द समझे जायेंगे और उन पर किसी तरह का पत्राचार अमान्य होगा।
- (ग) आवेदन पत्र स्वयं भूतपूर्व सैनिक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे (मृत्यु सैनिक की पत्नी के लिए यह बाध्यता नहीं होगी)।
- (घ) शिक्षा अनुदान आवेदन प्रवेशिका स्तर तक माह अप्रैल/मई एवं महाविद्यालय स्तर तक माह अगस्त/सितम्बर में समर्पित की जानी चाहिए।
- (च) अस्वीकृत आवेदन पत्र की छाया प्रति आवेदनकर्ता के अवलोकनार्थ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।
- (छ) आवेदन पत्र जमा कर उसकी रसीद जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं पूछ-ताछ के समय रसीद अपने साथ अवश्य रखें।
- (ज) शिक्षा संस्थान द्वारा लगाई गई मुहर बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए।
- (झ) आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न होना चाहिए :-
 - (i) संबंधित वर्ग का अंक पत्र की छायाप्रति।
 - (ii) डिस्चार्ज बुक (पूरी पृष्ठ) की छायाप्रति/सर्विस पार्टीकुलर (जिसमें पारिवारिक विवरण स्पष्ट हो) की छायाप्रति।
 - (iii) जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र की छायाप्रति।
 - (iv) पी0 पी0 ओ0 एवं बैंक पास बुक की छायाप्रति।

रसीद

नम्बर..... रैंक..... नाम..... श्रीमती..... से शिक्षा वर्ष.....
हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया।

आवेदन प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

आवेदन पत्र निःशुल्क है

पूर्व वर्ष का क्रमांक :.....

शिक्षा अनुदान के लिए आवेदन पत्र वर्ष.....(सत्र.....)

(महाविद्यालय एवं तकनीकी संस्थान के छात्र/छात्राओं के लिए)

खण्ड- 'क'

1. नम्बर.....रैंक..... नाम.....
2. रेजिमेन्ट/कोर :.....
3. सेना में भर्ती की तिथि :.....
4. सेना से निवृत्ति की तिथि :.....
5. सेना छोड़ने का कारण :.....
6. सेवा निवृत्ति के समय आचरण :.....
7. (क) पत्राचार का पता : ग्राम.....पोस्ट.....
जिला.....
- (ख) स्थायी पता : ग्राम.....पोस्ट.....
जिला.....
8. जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र क्रमांक.....
9. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं किसी भी सरकारी/निजी प्रतिष्ठान या निकाय में नौकरी नहीं करता हूँ।
10. मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है।

भूतपूर्व सैनिक/विधवा का हस्ताक्षर एवं तिथि

खण्ड- 'ख'

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1.पिताके पुत्र/पुत्री हैं।
2. इनकी नामांकन तिथि.....सत्र.....के लिए है।
3. इनकी जन्म तिथि.....है।
4. वर्ष.....मेंवर्ष के छात्र/छात्रा हैं।

5. यह महाविद्यालय/तकनीकी संस्थान केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन्हें वर्ष..... के लिए अन्य किसी श्रोतों से शिक्षा अनुदान के लिए अनुशसित नहीं किया गया है।

कॉलेज/तकनीकी संस्थान के
प्रधान का हस्ताक्षर तिथि एवं मुहर

आवेदन पत्र की जाँच कर ली गई है।
सत्यापित एवं अनुशसित।

कल्याण व्यवस्थापक

अनुशसित

जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी

आवश्यक सूचना :-

- (क) भूतपूर्व सैनिकों को बिहार का निवासी होना अनिवार्य है।
- (ख) त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वतः रद्द समझे जायेंगे और उन पर किसी तरह का पत्राचार अमान्य होगा।
- (ग) आवेदन पत्र स्वयं भूतपूर्व सैनिक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे (मृत्यु सैनिक की पत्नी के लिए यह बाध्यता नहीं होगी)।
- (घ) शिक्षा अनुदान आवेदन प्रवेशिका स्तर तक माह अप्रैल/मई एवं महाविद्यालय स्तर तक माह अगस्त/सितम्बर में समर्पित की जानी चाहिए।
- (च) अस्वीकृत आवेदन पत्र की छाया प्रति आवेदनकर्ता के अवलोकनार्थ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।
- (छ) आवेदन पत्र जमा कर उसकी रसीद जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं पूछ-ताछ के समय रसीद अपने साथ अवश्य रखें।
- (ज) शिक्षा संस्थान द्वारा लगाई गई मुहर बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए।
- (झ) आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न होना चाहिए :-
 - (i) संबंधित वर्ग का अंक पत्र की छायाप्रति।
 - (ii) डिस्चार्ज बुक (पूरी पृष्ठ) की छायाप्रति/सर्विस पार्टीकुलर (जिसमें पारिवारिक विवरण स्पष्ट हो) की छायाप्रति।
 - (iii) जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र की छायाप्रति।
 - (iv) पी० पी० ओ० एवं बैंक पास बुक की छायाप्रति।

रसीद

नम्बर.....रैंक.....नाम.....से वित्तीय वर्ष
.....हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया।

मुहर :-

आवेदन पत्र प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय :-
पत्नी न० :-
पत्रांक :-
पुत्र/पुत्री का नाम :-

आवेदक/आवेदिका का नाम :-
दिनांक :-

शिक्षा अनुदान से संबंधित

चेक लिस्ट

क्र०	विषय	अभ्युक्ति	पृष्ठ संख्या
1	चेक लिस्ट संलग्न है और हस्ताक्षरित है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० /प०
2	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि		पृ० /प०
3	भूतपूर्व/स्व० सैनिक के डिस्चार्ज बुक/सेवा विवरणी (सभी पृष्ठ) की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० /प०
4	शिक्षा अनुदान का आवेदन हवलदार रैंक (वायु सेना/नौसेना में इसके समतुल्य रैंक) तक के भूतपूर्व सैनिकों/मृत सैनिकों की विधवाओं के पुत्र/पुत्रियों का आवेदन अग्रसारित किया गया है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० /प०
5	पारिवारिक विवरणी की सत्यापित छायाप्रति संलग्न है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० /प०
6	आवेदन जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित एवं आवेदन पर स्कूल/महाविद्यालय/व्यवसायिक संस्थान के प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर/मुहर है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० /प०
7	यह अनुदान आवेदक के अधिकतम दो पुत्र/पुत्रियों के लिए है इसकी जाँच की गई है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० /प०
8	संबंधित स्कूल/महाविद्यालय/व्यवसायिक संस्थान सरकारी है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० /प०
9	Summary List दो प्रतियों में आवेदन पत्र के साथ संलग्न है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० /प०
10	आवेदन पत्र के साथ उत्तीर्ण वर्ग के अंक-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० /प०
11	आवेदन पत्र के साथ जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० /प०
12	आवेदन पत्र के साथ आवेदक/आवेदिका का पी०पी०ओ० की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० /प०
13	पासबुक का अभिप्रमाणित पहला पेज जिसमें IFSC Code हो संलग्न है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० /प०
14	सभी शिक्षा अनुदान का आवेदन एक ही शिक्षा सत्र का है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० /प०
15	आवेदन पत्र में लिखावट स्पष्ट एवं आवेदन पत्र में कटिंग नहीं है।	हाँ/ना	पृ० /प०
16	आवेदन पत्र एवं अंक पत्र में अंकित जन्म तिथि एवं आदेश संख्या-2 अथवा अभिलेख कार्यालय से संबंधित प्रमाण-पत्र जिसमें पुत्र/पुत्री का जन्म तिथि समान है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० /प०
17	आवेदन पत्र में आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० /प०
18	वर्ग-1 से वर्ग-5 तक का शिक्षा अनुदान का आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं करना है। इसकी जाँच की गई है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० /प०
19	शिक्षा सत्र समाप्त होते ही माह अप्रैल/मई (प्रवेशिका स्तर) एवं अगस्त/सितम्बर तक (महाविद्यालय स्तर तक) आवेदन पत्र पूरी तरह से जाँच कर भेजा जा रहा है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० /प०
20	समाप्त होने वाले शिक्षा सत्र के उत्तीर्ण किया हुआ वर्ग का ही शिक्षा अनुदान के लिए आवेदन पत्र भेजा जा रहा है या नहीं।	हाँ/ना	पृ० /प०

21	छात्र/छात्रा जिस वर्ग में अध्ययनरत है उस वर्ग का शिक्षा अनुदान के लिए आवेदन पत्र नहीं भेजना है।	हाँ/ना	पृ०	/प०
22	शिक्षा अनुदान देने हेतु मृत सैनिकों की विधवा की उम्र अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है।	हाँ/ना	पृ०	/प०
23	भूतपूर्व सैनिक एवं मृत सैनिकों की विधवाओं के पुत्र/पुत्रियों को शिक्षा अनुदान देने के अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष निर्धारित है।	हाँ/ना	पृ०	/प०
24	भूतपूर्व सैनिक एवं मृत सैनिकों की विधवा जो कहीं अन्य नौकरी में ना हो उनके ही पुत्र/पुत्रियों को शिक्षा अनुदान देय है।	हाँ/ना	पृ०	/प०
25	बी०एड०, एम०एड० एवं विधि कोर्स के लिए शिक्षा अनुदान का आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं करना है।	हाँ/ना	पृ०	/प०